

कार्यालय-जाप

श्रीमती शीला शर्मा, समीक्षा अधिकारी, राजस्व सचिव शाखा, 30प्र0 सचिवालय, लखनऊ दिनांक 31-18-2017 को सचिवालय प्रशासन अनु0-5 (अधि0) के पत्र संख्या- 2420/बीस-5-2017-14(अधि0)/2015 टी0सी0-1 दिनांक 18-08-2017 द्वारा दिनांक 31-08-2017 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गयी। श्रीमती शीला शर्मा, समीक्षा अधिकारी, के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या- जीएयू-61094 में जमा अवशेष धनराशि के नियमानुसार 90 प्रतिशत अंश के अंतिम भुगतान हेतु एतद्वारा उनके खाते में पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर वरिष्ठ लेखाधिकारी/निधि-17, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-निधि-17/मिलान डायरी-370/17-79707, दिनांक 19-01-2018 में की गयी संस्तुति एवं खाते में जमा धनराशि की अद्यतन स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 19-01-2018 तक जमा धनराशि रू0-1,95,134/- (रूपये एक लाख पन्चानबे हजार एक सौ चौतीस मात्र) के 90 प्रतिशत अंश की धनराशि रू0 1,75,621/- (रूपये एक लाख पचहत्तर हजार छः सौ ईक्विस मात्र) का अंतिम भुगतान 30प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियमावली-1985 के नियम-24(5) (क) के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

2- अंतिम भुगतान की उक्त धनराशि श्रीमती शीला शर्मा के भविष्य निधि खाता संख्या जीएयू-61094 की पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर जमा अवशेष के 90 प्रतिशत अंश से अधिक नहीं है।

3- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शीला शर्मा, समीक्षा अधिकारी दिनांक 31-08-2017 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गयी।

4- श्रीमती शीला शर्मा से भुगतान से पूर्व इस आशय का घोषणा-पत्र (शपथ-पत्र) प्राप्त कर लिया जाएगा, कि यदि उन्हें देय धनराशि से अधिक धनराशि प्राप्त हो जायेगी तो वह उसे शासन को वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगी।

5- उपर्युक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती शीला शर्मा को तुरन्त किया जायेगा तथा अवशेष 10 प्रतिशत अंश की धनराशि का भुगतान कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राधिकार पत्र के आधार पर किया जायेगा।

धीरज पाण्डे

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, निधि-17, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व लेखा को एक अतिरिक्त प्रति सहित।

4- श्रीमती शीला शर्मा, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, जी-74 सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ।

5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।